सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन न.RCMS2020/00009

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 03/2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री भागीरथ पुत्र श्री भंवरलाल सैनी —नमूना विक्रेता एवं मालिक—
   मै0 बालाजी प्रोडक्ट,रामदेव मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 17, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर —जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी :— रामदेव मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 17, जैतसर, तहसील श्रीविजयनगर ,जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा (2)(2)/52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 09.11.2020

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2019 को दोपहर बाद 1.00 बजे श्री राकेश सचदेवा, लेब तकनीशियन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ वास्ते चैकिंग मैसर्स बालाजी प्रोडक्ट,रामदेव मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 17, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर —जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर श्री भागीरथ पुत्र श्री भंवरलाल सैनी, रामदेव मन्दिर के पिछे, वार्ड नम्बर 17, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर ,जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित को मैने अपना परिचय देकर उक्त दुकान निरीक्षण किया तो मौके पर एक अलमारी में **Haldi Powder (No.7)** के 20 सील्ड प्लास्टिक पाउच, प्रत्येक पाउच में 500 ग्राम **Haldi Powder (No.7)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर इनमें से 4 सील्ड प्लास्टिक पाउच, प्रत्येक पाउच में 500 ग्राम **Haldi Powder (No.7)** नमूना जॉच **K-949** के नमूनीकरण के लिये खरीदा जिसकी कीमत 220/—रू0 (अखरे रूपये दौ सौ बीस मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा एवं श्री तुलसी राम के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता भागीरथ पुत्र श्री भंवरलाल सैनी एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **Haldi Powder (No.7)** के चार सील्ड प्लास्टिक के पाउचों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुकमांक **के–949** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलो पर विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये । प्रत्येक पाउच को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप **K-949** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4–4 जगह मोडकर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विकेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/377/एक्ट/2019/360 दिनांक 01.03.2019 **नमूना K-949 Haldi Powder (No.7)** अमानक स्तर **MISBRANDED FOOD** होना पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त भागीरथ पुत्र भंवरलाल सैनी , रामदेव मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 17, जैतसर, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Haldi Powder (No.7)** 26(2)(2)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.02.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–949 लेते समय फार्म नम्बर 5ए में B/Lot No. व Date of Packing लिखी गई है, एवंम Best Before को (इन स्माल) का विवरण फार्म नम्बर 5 ए में दिया गया एवंम् निर्माता का नाम व पता नहीं लिखा गया है जबकि फर्द रिपोर्ट में उक्त विवरण नहीं दिया गया है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–949 लेते समय फर्द रिपोर्ट पर ब्रास सिल नम्बर 3 लगाई गई है जबकि आवेदन के साथ प्रस्तत दस्तावेज पृष्ठ संख्या 18 में उक्त ब्रास सिल नम्बर 3 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जयपुर द्वारा कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ हेतु आवंटित की गई है

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी FSO द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से FSSA के नियमानुसार नहीं किया गया है।

जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में Contravence Regulation 2.2.1(7), 2.2.2.(6), 2.2.2(8), 2.2.2(9) and 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 क अन्तर्गत दिया गया है। यह कि जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या :–एलएस/377/एक्ट/2019/360 दिनांक 01.03.2019 में Best before 6 Month from the date of Packaging (Given in small latter) लिखा है एवंम बैच नं. निर्माण व पैकिंग की दिनांक निर्माता का नाम व पता तथा FSSAI License No Not Given लिखा है। जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण के दौरान जो नमूना (पैकिंग सहित) संख्या के–949 जन विश्लेषक को जांच हेतु भेजा गया था उस की फार्म संख्या 5ए , फर्द रिपोर्ट व फार्म संख्या नहीं लिखा है। उक्त रिपोर्ट में जांच के दौरान Brand Name : Special No. Seven अंकित करते हुए जांच रिपोर्ट बनाई गई है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण के दौरान नमूना संख्या के 949 नम्बर 7 **Haldi Powder** का लिया गया था जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण के दौरान जो नमूना (पैंकिग सहित) संख्या के–949 लिया गया था के फार्म संख्या 5ए फर्द रिपोर्ट, व फार्म संख्या 6 मेमोरेंडम में कही भी Special No. Seven अंकित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त जांच रिपोर्ट मिन जबाबदाता से लिये गये सैम्पल की नहीं है। उक्त आधार पर प्रस्तुत वाद मिन जबाबदाता के विरूद्व विधि विरूद्व पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया की पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तणीय है।

Sectioin 2.1.3 Food Safety officer (FSO) के 4 (G) में लिखा है कि To recomandend DO to issue the improvement Notice to the FBO when ever necessary.इस नियम का भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पालना नहीं की गई है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 जिसमें कि स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी द्वारा मानक नियमों के अनुसार होते हुए भी माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जो कि नियम विरूद है। FSS Act 2006 के Section 32 की पालना भी नहीं कि गई है जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before लिखा होने पर क्या मिस ब्रान्ड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि "नही" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को गवाही के उदेश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावें जोकि न्यायहित के लिए आवश्यक है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय , जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 FAC 255,2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है जिसकी प्रति सलंग्न दस्तावेज है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण बअनवानी सरकार बनाम कुलदीप आवेदन संख्या 24/2017 के पारित अपने निर्णय दिनांक 28.06.2019 में आवेदन पत्र विरूद्व एफ.बी.ओ. खारिज किया गया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि FSSA के तहत खादय नमूना संख्या के–949 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जांच रिपोर्ट के अनुसार धारा–3 (1)(Zf) (c)(i) के अनुसार खादय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Haldi Powder (No.7)** का सैम्पल के–**949** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/377/एक्ट/2019/360 दिनांक 01.03.2019 द्वारा **MISBRANDED FOOD** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26(2)(2)/52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–949 लेते समय फार्म नम्बर 5ए में B/Lot No. व Date of Packing लिखी गई है, एवंम Best Before को (इन स्माल) का विवरण फार्म नम्बर 5 ए में दिया गया एवंम् निर्माता का नाम व पता नहीं लिखा गया है जबकि फर्द रिपोर्ट में उक्त विवरण नहीं दिया गया है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–949 लेते समय फर्द रिपोर्ट पर ब्रास सिल नम्बर 3 लगाई गई है जबकि आवेदन के साथ प्रस्तत दस्तावेज पृष्ठ संख्या 18 में उक्त ब्रास सिल नम्बर 3 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जयपुर द्वारा कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ हेतु आवंटित की गई है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी FSO द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से FSSA के नियमानुसार नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया ही आवेदन पर खारिज किये जाने योग्य है। जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या :–एलएस/377/ एक्ट/2019/360 दिनांक 01.03.2019 में Best before 6 Month from the date of Packaging (Given in small latter) लिखा है एवंम बैच नं. निर्माण व पैकिंग की दिनांक निर्माता का नाम व पता तथा FSSAI License No Not Given लिखा है। जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण के दौरान जो नमूना (पैकिंग सहित) संख्या के–949 जन विश्लेषक को जांच हेतु भेजा गया था उस की फार्म संख्या 5ए , फर्द रिपोर्ट व फार्म संख्या नहीं लिखा है। फार्म संख्या 5ए फर्द रिपोर्ट, व फार्म संख्या 6 मेमोरेंडम में कही भी Special No. Seven अंकित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त जांच रिपोर्ट मिन जबाबदाता से लिये गये सैम्पल की नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 जिसमें कि स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी द्वारा मानक नियमों के अनुसार होते हुए भी माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जो कि नियम विरूद है। FSS Act 2006 के Section 32 की पालना भी नहीं कि गई है जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before लिखा होने पर क्या मिस ब्रान्ड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि "नही" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय , जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 FAC 255,2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है जिसकी प्रति सलंग्न दस्तावेज है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण बअनवानी सरकार बनाम कुलदीप आवेदन संख्या 24/2017 के पारित अपने निर्णय दिनांक 28.06.2019 में आवेदन पत्र विरूद्व एफ.बी.ओ. खारिज किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या के–949 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जांच रिपोर्ट के अनुसार धारा–3 (1)(Zf)(c)(i) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निम्न नजीरे पेश की है :–

1. FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006
2. न्यायायिक निर्णय प्रकरण संख्या 24/2017 निर्णय दिनांक 28.06.2019

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि नमूना सं. K-949 लेते समय फर्द रिपोर्ट पर ब्रास सिल नं. 3 लगाई गई है जबकि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पृष्ठ सं. 18 में उक्त ब्रास सील नं. 3 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जयपुर द्वारा कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ हेतु आवंटित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास कार्यक्षैत्र हनुमानगढ के साथ–साथ अतिरिक्त चार्ज जिला श्रीगंगानगर का भी है जो पत्रावली में सलंग्न अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के आदेश से भी स्पष्ट होता है ब्रास सील लगाते समय सहवन से मूल कार्यक्षेत्र की भी लग सकती है। जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सही कर ब्रास सिल कार्यक्षेत्र हनुमानगढ की लगा दी गई है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before लिखा होने पर क्या मिस ब्रान्ड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि "नही" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.16 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्त्ता के पक्ष में नहीं की गई है जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्त्ता को नहीं दिया गया है जबकि Section 32 FSS Act के सैम्पल लेने से पुर्व सुधार हेतु दिया जाता है सैम्पल लेने के पश्चात मिस ब्रान्ड पाये जाने पर यह प्रावधान लागू नहीं होते है कि सुधार हेतु लिखा जावें। सुधार हेतु लिखा जाने पर बाद मिसब्राण्ड पाया जाता है तो लाईसैंस निरस्त की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त धारा 32 के तहत की जाने वाली कार्यवाही कानूनन अनिवार्य (Mandatory)नहीं है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 01.03.2019 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/52 का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **Haldi Powder (No.7)** विकेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(2) की श्रेणी में आता है। अभियुक्त भागीरथ पुत्र श्री भंवरलाल सैनी, नमूना विकेता एवं मालिक –पर **MISBRANDED FOOD** के तहत **Haldi Powder (No.7)** का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/52 के तहत 3,00,000/–रूपये (अखरे रूपये तीन लाख मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Haldi Powder (No.7)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Haldi Powder (No.7)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुंजन सोनी)
न्यायनिर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner